



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 96]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 15, 2018/फाल्गुन 24, 1939

No. 96]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 15, 2018/PHALGUNA 24, 1939

भारतीय दन्त परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2018

सं. डीई-22(10)-2018.—दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारतीय दन्त परिषद्, केन्द्र सरकार की अग्रिम स्वीकृति के साथ, भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांकित 12 जनवरी, 2006 के भाग III, अनुभाग 4 में प्रकाशित मूल भारतीय दन्त परिषद् (नए दन्त महाविद्यालयों की स्थापना, नए या उच्चतर अध्ययन अथवा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आरम्भ तथा दन्त महाविद्यालयों में प्रवेश क्षमता की वृद्धि) विनियम, 2006 में एतद्वारा नामतः निम्नांकित संशोधन करती है :-

1. लघु शीर्षक एवं प्रारंभ :-

- (i) इन विनियमों को “भारतीय दन्त परिषद् (नए दन्त महाविद्यालयों की स्थापना, नए या उच्चतर अध्ययन अथवा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आरम्भ तथा दन्त महाविद्यालयों में प्रवेश क्षमता की वृद्धि) (दसवाँ संशोधन) विनियम, 2018” कहा जा सकता है।
- (ii) वे आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होंगे।

2. उच्चतर अध्ययन पाठ्यक्रम आरम्भ करने / परास्नातक सीटें बढ़ाने / अनुमति के नवीकरण के आवेदन प्राप्त होने एवं केन्द्र सरकार तथा भारतीय दन्त परिषद् द्वारा उनके प्रक्रमण के लिए, 11.03.2016 को अधिसूचित “भारतीय दन्त परिषद् (नए दन्त महाविद्यालयों की स्थापना, नए या उच्चतर अध्ययन अथवा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आरम्भ तथा दन्त महाविद्यालयों में प्रवेश क्षमता की वृद्धि) (आठवाँ संशोधन) विनियम, 2016” के विनियम 4(2) के अन्तर्गत समय सारणी के नीचे, भारत सरकार के पत्रांक वी.12012/2/2018-डीई दिनांकित 05.02.2018 के अनुसरण में, परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश एवं परामर्श (काउन्सलिंग) की नई समय सारणी एतद्वारा प्रविष्ट की जाती है :-

अखिल भारतीय कोटा और राज्य कोटा के लिए परास्नातक दन्त पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की समय सारणी

क्रम सं.	प्रवेश हेतु समय-सारणी	व्यापक विशेषज्ञता	
		अखिल भारतीय कोटा	राज्य कोटा
1.	प्रवेश परीक्षा का आयोजन	जनवरी माह	
2.	अर्हकारी परीक्षा/प्रवेश परीक्षा के परिणाम की घोषणा	फ़रवरी माह	
3.	परामर्श/प्रवेश का प्रथम चक्र	12 मार्च से 24 मार्च के मध्य	4 अप्रैल से 15 अप्रैल के मध्य
4.	आवण्टित महाविद्यालय एवं पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने/उपस्थित होने का अन्तिम दिनांक	3 अप्रैल तक	22 अप्रैल तक
5.	रिक्तियों के लिए परामर्श/प्रवेश का द्वितीय चक्र	23 अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य	11 मई से 20 मई के मध्य
6.	परामर्श/प्रवेश के द्वितीय चक्र में प्रवेश लेने का अन्तिम दिनांक	10 मई तक	27 मई तक
7.	अकादमिक सत्र/अवधि का आरम्भ	1 मई	1 मई
8.	वह अन्तिम दिनांक जिस तक किसी भी कारणवश उत्पन्न रिक्तियों में विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकता है	-	31 मई तक

नोट : प्रवेश के अन्तिम दिनांक, अर्थात् 10 मई के बाद रिक्त रह गई अखिल भारतीय कोटा की सीटों को राज्य कोटा में परिवर्तित मान लिया जाएगा।

डॉ. सब्यसाची साहा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असाधारण/472/17]

फ़ुट नोट : मूल विनियमों नामतः "भारतीय दन्त परिषद् (नए दन्त महाविद्यालयों की स्थापना, नए या उच्चतर अध्ययन अथवा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आरम्भ तथा दन्त महाविद्यालयों में प्रवेश क्षमता की वृद्धि) विनियम, 2006" का प्रकाशन अधिसूचना दिनांकित 12.01.2006 के माध्यम से भारत के राजपत्र के भाग III, अनुभाग 4 में किया गया था एवं उन्हें अधिसूचनाओं दिनांकित 16.01.2006, 21.02.2006, 03.11.2006, 22.05.2012, 11.03.2016 तथा 05.07.2017 के माध्यम से संशोधित किया गया था।

DENTAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2018

No. DE-22(10)-2018.—In exercise of the powers conferred by Section 20 of the Dentists Act, 1948, the Dental Council of India, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Amendment to the Principle Dental Council of India (Establishment of New Dental Colleges, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) Regulations, 2006, published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, dated 12th January, 2006 namely:-

1. Short title and Commencement:-

- (i) These Regulations may be called the “Dental Council of India (Establishment of New Dental Colleges, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) (10th Amendment) Regulations, 2018”.
- (ii) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Below the Time Schedule u/r 4(2) “Dental Council of India (Establishment of New Dental Colleges, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) (8th Amendment) Regulations, 2016”, notified on 11.03.2016, for receipt of application for opening of Higher Courses of Study / increase of Postgraduate seats/renewal of permission and processing of the applications by the Central Government and the Dental Council of India, the new Time Schedule for Admission and Counseling for Postgraduate Courses, pursuant to the direction of the Government of India in its letter No.V.12012/2/2018-DE dated 05.02.2018, is hereby inserted:-

TIME SCHEDULE FOR COMPLETION OF ADMISSION PROCESS FOR PG DENTAL COURSES FOR ALL INDIA QUOTA AND STATE QUOTA

Sl. No.	Schedule for admission	Broad Specialty	
		All India Quota	State Quota
1.	Conduct of entrance examination	Month of January	
2.	Declaration of the result of the Qualifying Exam/Entrance Exam	Month of February	
3.	1 st round of counseling/admission	Between 12 th March to 24 th March	Between 4 th April to 15 th April
4.	Last dated for joining/reporting the allotted college and the course	By 3 rd April	By 22 nd April
5.	2 nd round of counseling/admission for vacancies	Between 23 rd April to 30 th April	Between 11 th May to 20 th May
6.	Last date for joining for the 2 nd round of counseling/admission	By 10 th May	By 27 th May
7.	Commencement of academic session/term	1 st May	1 st May
8.	Last date up to which students can be admitted/joined against vacancies arising due to any reason	-	By 31 st May

Note: All India Quota Seats remaining vacant after last date for joining, i.e. 10th May will be deemed to be converted into state quota.

Dr. SABYASACHI SAHA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./472/17]

Foot Note: The Principal Regulation namely, “Dental Council of India (Establishment of New Dental Colleges, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) Regulations, 2006” were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India vide Notification dated 12.01.2006 and amended vide notification dated 16.01.2006, 21.02.2006, 03.11.2006, 22.05.2012, 11.03.2016, 05.07.2017.